परिशिष्ट क

शोध परियोजनाओं हेतु सहभागिता प्रदान करने के नियम

1. सिनेमा के इतिहास की किसी भी शाखा में कोई विशिष्ट विषय पर अथवा सिनेमा से बहुत ह्द तक जुडा हुआ है और उसके अंशों वाला कोई अन्य विषय जिसमें विशिष्ट कार्य किया जाना हो, पर राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा वितीय सहायता के लिए विचार किया जा सकता है । भारतीय सिनेमा के उपेक्षित पहलुओं पर शोध को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, निम्नलिखित विषयों को प्राथमिकता दी जा सकती है:

    I. भारतीय फिल्म इतिहास
    II. भारतीय सिनेमा का समाज-विज्ञान
    III. फिल्म अर्थव्यवस्था
    IV. फिल्म सौंदर्यबोध
    V. फिल्म तकनीकें
    VI. भारतीय सिनेमा का अन्य कोई पहलू

2. परियोजनाएं उन व्यक्तियों के नामों पर अनुमोदित की जाएंगी जो इन्हें समाप्त करने के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

3. विषय का चयन पहले शोधकर्ता द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा नामित समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

4. शोधकर्ता/विद्यार्थी द्वारा सहभागिता प्रदान करने का प्रस्ताव तभी दिया जाना चाहिए अगर वह निम्नलिखित से सहमत हो:

    क) वित्त साधन का ध्यान रखना और प्रबंध करना ।
    ख) परियोजना हेतु आवश्यक फर्नीचर व स्थान का प्रबंध करना।

ग) लेखन सामग्री, टंकण सहायता आदि ।

5. राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय अपनी लायब्रेरी व अन्य सुविधाएं जैसे फोटो कॉपी निकालना उपलब्ध करवाएगा ।

6. पात्रता - सहभागिता इन्हें दी जाएगी:-

क) शोध छात्र, पत्रकार व आलोचक जिन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में शोध व लेखन में अपनी पहचान बनाई हो,

ख) छात्र जिनके पास समाज-विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिल्मों में डिग्री या डिप्लोमा हो ।

ग) अथवा जिन्होंने सिनेमा से संबंधित किसी भी विषय पर थीसिस लिखी हो या कोई शोध प्रणाली विज्ञान पाठ्यक्रम में भाग लिया हो ।

7. अवधि - एक वर्ष । शोध सहभागिता की अवधि साधारणत: एक वर्ष (न्यूनतम) होगी जो विशिष्ट मामलों में और एक वर्ष (अधिकतम) बढ़ाई जा सकेगी । प्रत्येक तीन महीनों के अंत में किए गए कार्य की एक विस्तृत समीक्षा की जाएगी व सहभागिता आगे जारी रखने के संबंध में तभी निर्णय लिया जाएगा ।

8. नियम क्रमांक 6 के पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं:

क) शोध सहभागिता के लिए निर्धारित प्रपत्र में जहां वे कार्यरत हैं उस संस्थान के माध्यम से, उनके शोध प्रस्ताव की विस्तृत नोट रूपरेखा की 5 प्रतियों व उनके बायोडाटा के साथ ।

ख) जो व्यक्ति किसी संस्थान से नहीं ज़ुडे हैं उनके मामले में जहां वे पहले पढ़ते थे उस संस्थान के प्रमुख की सिफ़ारिशों के साथ आवेदन सीधे राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय को भेजे जा सकते

हैं । समय-समय पर बनाई गई ऐसी प्रक्रियाओं के अनुसरण में राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा आवेदन पर विचार किया जाएगा व अगर संग्रहालय आवेदक को पात्र समझता है व उनके शोध प्रस्ताव को अनुमोदित करता है तो उन्हें शोध सहभागिता प्रदान की जाएगी ।

9. पूर्णकालिक सहभागिता पारिश्रमिक - रुपए 2000/- प्रतिमाह ।

10. आकस्मिक अनुदान - रुपए 2000/- के मासिक भत्ते के साथ प्रत्येक शोध फैलो को वास्तविक खर्च के बराबर आकस्मिक अनुदान या एकमुश्त रुपए 8000/- दोनों में से जो भी कम हो, दिया जाएगा । इस अनुदान के अंतर्गत सहभागिता के कार्यों से ज़ुडी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, किताबों की खरीद, लिपिकीय सहायता, लेखन सामग्री आदि जैसे व्यय आएंगे ।

11. प्रगति रिपोर्ट - शोधकर्ता द्वारा उनके पथ प्रदर्शक द्वारा अधिप्रमाणित एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसके साथ पिछले तीन महीनों में हुए खर्च का विवरण व अगले तीन महीनों में होने वाले खर्च का अनुमान होगा । इन काग़ज़ातों के प्राप्त होने के बाद ही अगली किश्त जारी की जाएगी ।

12. अंतिम रिपोर्ट - सहभागिता समाप्त होने के बाद, किसी भी स्थिति में 06 माह के अंदर शोधकर्ता द्वारा, उनके पथ प्रदर्शक द्वारा अधिप्रमाणिक उनके कार्य की एक पूर्ण प्रति व एक सारांश जिसमें उनके प्रमुख निष्कर्ष उल्लिखित हों, प्रस्तुत करनी होगी ।

13. **अन्य शर्तें:**

क) शोधकर्ता अपना शोध कार्य पूर्णकालिक आधार पर करेंगे व सहभागिता की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

की पूर्वानुमति के बगैर अन्य कोई कार्य (भुगतान के साथ या बगैर भुगतान के) स्वीकार नहीं करेंगे ।

ख) आकस्मिक अनुदान से खरीदी गई सभी पुस्तकें व उपकरण, कार्य की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय को स्थानांतरित करने होंगे ।

ग) समाप्ति - राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पथ प्रदर्शक के परामर्श से एक महीने का नोटिस देते हुए सहभागिता समाप्त कर सकता है अगर यह पाया जाए कि प्रगति संतोषजनक नहीं है अथवा शोधकर्ता ने सहभागिता के नियमों व शर्तों को गंभीरता से तोड़ा है ।

14. प्रकाशन व सर्वाधिकार - राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय यह उम्मीद करता है कि उनके शोध का यथा समय प्रचार करने के लिए शोधकर्ता संग्रहालय द्वारा वित्तित शोध परियोजना से आए किसी भी लेख को प्रकाशित करें । तथापि ऐसे प्रकाशनों के सभी मामलों में, सूचना व अभिलेख रिकार्ड हेतु 10 प्रतियां (पुनर्मुद्रित) संग्रहालय में प्रस्तुत की जाएं व संग्रहालय द्वारा दी गई वित्तीय सहायता की स्वाकारोक्ति की जाए ।

15. राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा वित्तित परियोजना की अंतिम शोध अध्ययन रिपोर्ट को प्रकाशित करने के अधिकार राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के पास होंगे । यदि राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ऐसा करने का निर्णय लेता है तो निर्णय की सूचना, रिपोर्ट की मंजूरी सहित शोधकर्ता को दे दी जाएगी । ऐसी रिपोर्टें मंजूरी की दिनांक से एक वर्ष के अंदर प्रकाशित कर दी जाएंगी व वास्तविक रूप से बिकी हुई प्रतियों की संख्या के अनुसार बिक्री मूल्य का 15 प्रतिशत अथवा परस्पर रूप से निर्णित एकमुश्त राशि लेखक को रॉयल्टी के रूप में दी जाएगी ।

16. क्र.सं.14 में आने वाले मामलों अथवा उन मामलों में जहां निर्णय लेने के एक वर्ष के अंदर प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट को राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय प्रकाशित नहीं कर पाता है, लेखक को शोध रिपोर्ट प्रकाशित करने का अधिकार होगा। जारी होने के तुरंत बाद उन्हें राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के उपयोग के लिए प्रकाशित सामग्री की 50 प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध करवानी होंगी।

17. संग्रहालय द्वारा वित्तित शोध कार्य पर आधारित सभी प्रकाशनों में उक्त परियोजना हेतु सभी कर्मिकों द्वारा दी गई सहायता व संग्रहालय से प्राप्त वित्तीय सहायता की उचित स्वीकारोक्ति की जाए । (उचित शब्दावली हमारे द्वारा निर्धारित की जा सकती है ।)

18. किसी शोध परियोजना से संबंधित सभी प्रकाशनों के कॉपीराइट लेखक के पास रहेंगे । तथापि राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय अपने किसी भी प्रकाशन में उनका उपयोग करने के अधिकार अपने पास रखता है ।

19. **सामग्री का परिरक्षण:**

    क) किसी परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त कर रहे शोधकर्ता को शोध से संबंधित सामग्री जैसे कि काग़ज़ातों की प्रतियां, पांडुलिपि नोट्स, संदर्भ कार्डस - इनशेड्यूल्ड टेब्यूलेशन अथवा वर्किंग शीट्स, पंचकार्डस रिपोर्ट की पांडुलिपि आदि के परिरक्षण की उचित व्यवस्था करनी होगी।

    ख) संग्रहालय के पास यह अधिकार रहेगा कि वह अपरिष्कृत सामग्री अथवा उसके कोई विनिर्दिष्ट अंशों को संग्रहालय को देने की मांग कर सके ।

    ग) यदि व्यक्ति सामग्री को नष्ट अथवा अन्यथा समाप्त करना चाहता है तो वह राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के अनुमोदन से ऐसा कर सकता है ।

    घ) लेखक को अपने पास की सामग्री संग्रहालय द्वारा अनुशंसित प्रामाणिक शोध छात्रों को दिखानी होगी ।